



-प्रेस नोट-

दिनांक:07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 24.12.2024 को वादी की लिखित तहरीर बावत संदीप पुत्र भिसम निवासी ग्राम ककराला थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पोती को बाहर अकेला देखकर अपने कमरे में जबरदस्ती खींच ले जाना व छेड़खानी करने के सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 136/2024 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट, बनाम मे पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी तीतरो के कुशल नेतृत्व मे थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा थाना तीतरो पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे **अभियुक्त संदीप पुत्र भिसम निवासी ग्राम ककराला थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 07.01.2025 को सालियर तिराहा कस्बा तीतरो से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संदीप पुत्र भिसम निवासी ग्राम ककराला थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 कंचन थाना तीतरो जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अय्यूब अली थाना तीतरो जनपद सहारनपुर ।
3. का02538 चन्द्रशेखर थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।



दिनांक:- 07.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त पंकज पुत्र राजपाल सैनी निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को रेलवे अन्डर पास के नीचे ग्राम सुआखेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 006/2025 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और हरियाणा राज्य की पुलिस से चोरी-छिपे सस्ते दामों पर शराब खरीद कर ले आता हूँ और नशा करने वाले मजदूरों व अन्य लोगों को थोड़े अधिक दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है और मेरे नशे की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पंकज पुत्र राजपाल सैनी निवासी ग्राम अगवानहेडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

08 बोतल देशी शराब शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक:07.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकित पुत्र किरणपाल निवासी नामालूम द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का पीछा करने तथा दिनांक 29.11.24 को घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 255/24 धारा 333/75(2)/76/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में वांछित **अभियुक्त अंकित पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** को रामपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

अंकित पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 1- उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
- 2- हो0गा0 2009 नरेश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक:-07.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सरवर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 5936/24 व मु0अ0स0 70/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम, वाद संख्या 2409/24 व मु0अ0स0 66/2016 धारा 379/411 भादवि, वाद संख्या 5386/2024 व मु0अ0स0 262/2023 धारा 63 आबकारी अधिनियम व वाद संख्या 6194/24 व मु0अ0स0 383/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना सरसावा में ग्राम हुसैनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सरवर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 661 सम्राट थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 07.1.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण/दुष्कर्म के मुकदमें में वाछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30/12/2024 को वादिया ने थाने उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नबी हसन पुत्र शकील व दानिश पुत्र इमरान नि0गण ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में सूचना पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-713/24 धारा 137 बीएनएस पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिये गये, आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग की पीड़िता को सकुशल बरामद कर मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त नबी हसन पुत्र शकील व दानिश पुत्र इमरान नि0गण ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मण्डी समिति के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नबी हसन पुत्र शकील व दानिश पुत्र इमरान नि0गण ग्राम हाशिमपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 मिथलेश राठौर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1124 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 1980 योगेश थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2024 को वादी श्री दिनेश कुमार काम्बोज S/O बालेश्वर काम्बोज निवासी न्यू भगवती कालोनी निकट पारस पुरम थाना देहात कोतवाली ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 30.09.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल UP-11-AF-5612 चन्द्रलोक कालोनी से चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 423/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा अपराध नियंत्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम तथा चोर/नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी व चोरी किये सामान की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त अमन पुत्र सलीम निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को बेहट रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल नं0 UP-11-AF-5612 की आरसी व नम्बर प्लेट बरामद की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त मोटर साईकिल दिनांक 30.09.2024 को चन्द्रलोक कालोनी थाना क्षेत्र कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर से चोरी की गयी थी, जिसको मैंने एक राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था, जिसकी बिक्री से मुझ 8000 रुपये मिले थे, उन रुपयों में से 1560 रुपये बचें हैं। उक्त मोटर साईकिल की आरसी व नम्बर प्लेट मेरे पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमन पुत्र सलीम निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 आर0सी0 मो0साईकिल न0 UP-11-AF-5612 की छाया प्रति
- 1560/- रुपये नकद
- 01 नम्बर प्लेट मो0सा0 UP-11-AF-5612

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1932 बिजेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान आज दिनांक 07.01.2025 को एक शातिर अभियुक्त **दानिश पुत्र प्रवेश निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को पुराना कलसिया रोड से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 017/2025 धारा 4/25 आयुध एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चाकू लोगो को डराने व धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दानिश पुत्र प्रवेश निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 नरेंद्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 310 विपिन पँवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2190 मंगल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मंदिर के दानपात्र से पैसे चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2025 को वादी श्री अमित त्यागी श्री सुरेश त्यागी पार्षद वार्ड स0 - 50 हकीकत नगर थाना सदर बाजार मौ0न0 - 9897123233 की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा सावित्री बाई जी की कुटिया के सामने वाले मन्दिर का दानपात्र तोड़कर पैसे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 009/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.01.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **मंजीत उर्फ कैचुआ पुत्र राकेश निवासी ग्राम पिन्जौरा पुलिया के पास फ्रेंड्स कालौनी गली नं0-3 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को चैकिंग/गश्त के दौरान चांदमारी मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 262/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरे द्वारा दो दिन पहले रात में समय करीब 4/5.00 बजे के बीच में तीन मन्दिरों के दानपात्र से चोरी की गयी थी जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा शास्त्रीनगर मन्दिर में घुसकर दानपात्र देखा गया तो उसमें पैसे नहीं थे। तब मैं वहां से चलकर हकीकतनगर वाले मन्दिर में गया तथा दानपात्र में से मुझे करीब 100..150 रुपये मिले उसके बाद मैं वाल्मिकी मन्दिर में गया तथा दानपात्र में मुझे करीब 600..700 रुपये के आस पास मिले थे। जिसमें से मैंने 500...600 रुपये की स्मैक खरीद कर पी ली थी। बाकी जो चोरी के पैसे बचे थे वो आपने मुझसे बरामद कर लिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

मंजीत उर्फ कैचुआ पुत्र राकेश निवासी ग्राम पिन्जौरा पुलिया के पास फ्रेंड्स कालौनी गली नं03 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 262/- रुपये नकद

अभियुक्त मंजीत उर्फ कैचुआ का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 270/2023 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 214/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जहांगीर सिंह थाना सदर बाजार स0पुर
2. है0का0-518 हरेन्द्र थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0 266 धीरज थाना सदर बाजार स0पुर
4. का0 186 विमल थाना सदर बाजार स0पुर



दिनांक: 07.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर/नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 77 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 1,55,000/-रुपये), 01 इलैक्ट्रानिक काँटा व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.01.2025 मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **इकबाल पुत्र शकूर निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर** को पीठ रोड कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 77 ग्राम स्मैक व 01 इलैक्ट्रानिक काटा व 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 03/25 धारा 8/21 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा थाना नानौता का हिस्ट्रीशीटर भी है जिसके विरुद्ध थाना नानौता पर डेढ़ दर्जन से भी अधिक मुकदमें पंजीकृत है।** विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा नशे करने का आदी हूँ, मैं यह स्मैक बाहर से सस्ते दामों पर खरीदकर लाता हूँ तथा यहा लाकर राह चलते लोगों को महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता हूँ स्मैक बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे अपने नशे के शौक को पूरा करता हूँ, आज भी स्मैक बेचने के लिये ग्राहक के इन्तजार में खडा था, कि मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इकबाल पुत्र शकूर निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 77 ग्राम स्मैक नाजायज
- 01 इलैक्ट्रानिक काँटा
- 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 63/06 धारा 457/380 भादवि थाना नानौता स0पुर
2. मु0अ0स0 240/07 धारा 457/380 भादवि थाना नानौता स0पुर
3. मु0अ0स0 145/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता स0पुर
4. मु0अ0स0 163/08 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नानौता स0पुर

5. मु0अ0स0 111/08 धारा 392/411 भादवि थाना नानौता स0पुर
6. मु0अ0स0 308/08 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना नानौता स0पुर
7. मु0अ0स0 19/09 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता स0पुर
8. मु0अ0स0 16/09 धारा 411/380 भादवि थाना नानौता स0पुर
9. मु0अ0स0 217/19 धारा 411/392 भादवि थाना नानौता स0पुर
10. मु0अ0स0 218/19 धारा 307 भादवि थाना नानौता स0पुर
11. मु0अ0स0 219/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता स0पुर
12. मु0अ0स0 25/10 धारा 3 युपी गुण्डा अधि0 थाना नानौता स0पुर
13. मु0अ0स0 13/22 धारा 3 युपी गुण्डा अधि0 थाना नानौता स0पुर
14. मु0अ0स0 15/22 धारा 380 भादवि थाना नानौता स0पुर
15. मु0अ0स0 16/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता स0पुर
16. मु0अ0स0 109/12 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नानौता स0पुर
17. मु0अ0स0 26/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता स0पुर
18. मु0अ0स0 296/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नानौता स0पुर
19. मु0अ0स0 03/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 597 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की लोहे की एंगल व पाईप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.01.2025 को वादी विनित गोयल पुत्र मुकेश गोयल निवासी माधव विहार तोता चौक के पास थाना मंडी सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की बंद पड़ी फैक्ट्री महलपुरम पराग डेरी से अभियुक्तगण 1- शक्ति पुत्र सूरजपाल 2- अंकित पुत्र महेन्द्र निवासीगण पुष्पांजली विहार शिव मन्दिर के पास थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा लोहे की एंगल व पाईप को चोरी कर लेने तथा वादी द्वारा अपने अन्य साथियों की सहायता से दोनो अभियुक्तो को मय माल के मौके पर ही पकड लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 02/25 धारा 305(ए)/331(3)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम कम पढ़े लिखे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए बन्द पडी जगहो से चोरी करते हैं तथा उस सामान को बेचकर उस पैसे से अपने शौक पूरा करते हैं। अभियुक्तो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- शक्ति पुत्र सूरजपाल नि0 पुष्पांजली विहार शिव मन्दिर के पास थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
- 2- अंकित पुत्र महेन्द्र निवासी पुष्पांजली विहार शिव मन्दिर के पास थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

अभियुक्त शक्ति का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 615/24 धारा 305(ए)/317(2) बी0एनएस थाना सदर बाजार, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- लोहे की एंगल व पाईप



दिनांक: 07.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.01.2025 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा फरार चल रहे **01 वारण्टी अभियुक्त ओमवीर पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम खटकाहेड़ी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1384/24 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम व मु0अ0सं0 0323/2021 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना नानौता जिला सहारनपुर, माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 सहारनपुर नियत तिथि 20.01.2025 को ग्राम खटकाहेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

ओमवीर पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम खटकाहेड़ी थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने वाले 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07.01.2025 को थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 अभियुक्तगण 1.तनवीर पुत्र शफीक निवासी पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर (टैम्पो चालक) 2.शहजाद पुत्र इनाम निवासी पठेड (टैम्पो चालक) 3.बुरहान पुत्र जफ्फर निवासी पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर (टैम्पो चालक) 4.ब्रजपाल पुत्र कर्ण सिंह निवासी गंगोह दूबर किशनपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर (चिलकाना बसो का मुंशी) 5.कुलदीप पुत्र मामन निवासी चिलकाना जनपद चिलकाना जनपद सहारनपुर (चिलकाना बसो का मुंशी) को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में चालान किया गया है।

आज दिनांक 07.01.2024 को 62 फुटा रोड निकट चिलकाना बस अड्डा पर दो पक्षों के मध्य टैम्पो व बस में सवारियों को बैठाने के ऊपर आपस में कहा सुनी व खिचातानी हो रही थी तथा दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आमदा फसाद हो रहे थे चिलकाना बस अड्डे पर मौजूद व्यक्ति तथा मौके पर मौजूद पुलिस वालों के द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाया गया परन्तु नहीं माने दोनों पक्ष और अधिक उत्तेजित होकर एक दूसरे के ऊपर आमदा फसाद होने लगे। अतः शान्ति व्यवस्था भंग होने तथा कोई संज्ञेय अपराध कारित होने की पूर्ण आशंका को देखते हुए दोनों पक्षों को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर दोनों पक्षों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. तनवीर पुत्र शफीक निवासी पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर (टैम्पो चालक)
2. शहजाद पुत्र इनाम निवासी पठेड (टैम्पो चालक)
3. बुरहान पुत्र जफ्फर निवासी पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर (टैम्पो चालक)
4. ब्रजपाल पुत्र कर्ण सिंह निवासी गंगोह दूबर किशनपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर (चिलकाना बसो का मुंशी)
5. कुलदीप पुत्र मामन निवासी चिलकाना जनपद चिलकाना जनपद सहारनपुर (चिलकाना बसो का मुंशी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 241 कपिल कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5. का0 1253 अनिरुद्ध थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 07.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2025 को वादी शौकीन पुत्र नसीम निवासी अजीम कालोनी पुराना कलसिया रोड़ थाना मंडी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल सीडी डिलक्स रजि न0-UP11-BV-5355 को घर के बाहर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं013/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं चोरी गए वाहन की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.01.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **अमजद पुत्र साजिद निवासी हसन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** को वाहन चैकिंग के दौरान जुल्मगढ की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **01 चोरी की एच एफ डीलैक्स मोटरसाइकिल** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमजद पुत्र साजिद निवासी हसन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटरसाइकिल एच एफ डीलैक्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 310 विपिन पंवार थाना मण्डी सहारनपुर
4. का0 1612 अंकित कुमार थाना मण्डी सहारनपुर